पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर (राज)

(श्री कल्याण राजकीय महाविद्यालय के पीछे, सीकर-332001)

टेलीफोन नं. 01572-272100, 273100, 273200 टेलीफेक्स 01572-273100

वेबसाईट: www.shekhauni.ac.in ई-मेल: reg.shekhauni@gmail.com

क्रमांकः— 1170 दिनांकः— 10.01-17

प्राचार्य,
समस्त सरकारी व निजी महाविद्यालय,
सीकर व झुन्झुनूं।

विषयः— प्रवेश नीति 2016—17 के नियम विरूद्ध स्वयंपाठी से नियमित करने बाबत्।

उपरोक्त विषय में महाविद्यालयों को प्रवेश नीति 2016—17 के अनुसार निम्नलिखित नियमों का सशक्त पालन करना व प्रवेश नीति के अनुसार ही प्रवेश देने का अधिकार, जो निम्न हैं:—

(क) स्वयंपाठी से नियमित विद्यार्थीयों (केवल छात्राएं) के लिए 50 प्रतिशत अंक अनिवार्य नहीं है। लेकिन अनिवार्य तथा ऐच्छिक विषयों में पास होना अनिवार्य है जो विद्यार्थी पूर्ण पास नहीं है, ऐसे विद्यार्थी नियमित करने के लिए योग्य नहीं माने जायेंगे।

(ख) छात्रों (केवल लड़के) के लिए 50 प्रतिशत से अधिक अंक स्नातक प्रथम वर्ष में होना अनिवार्य हैं, तथा साथ ही फार्म जमा करते समय स्नातक प्रथम वर्ष की अंकतालिका लगाना अनिवार्य हैं।

(ग) कॉलेज स्थानान्तरण की स्थिति में एक ही नगर व कस्बे के विद्यार्थियों का स्थानान्तरण नियम विरूद्ध तथा अमान्य होगा।

विश्वविद्यालय उपरोक्त प्रवेश नीति के नियमों की पालनार्थ महाविद्यालयों को लागू करने के लिए पाबन्द करता है। यदि कोई महाविद्यालय इन नियमों की पालना नहीं करता है, उसके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी। साथ ही विश्वविद्यालय द्वारा नियमों की अवहेलना करने वाले महाविद्यालय के विरूद्ध एक समिति का गठन करके De-Affiliation की कार्यवाही की जायेगी, जो विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते है।

अतः विश्वविद्यालय उक्त नियमों को कड़ाई से पालन करने के लिए आदेशित करता है।

परीक्षा नियंत्रक